24/3/2021	पुनश्च: पत्रावली पेश हुई तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय की प्रति तहसीलदार मालपुरा को पालनार्थ भेजी जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
03 / 2021	2021 / 00010	21.01.2021

1. कुमरसिंह पुत्र महाराज सिंह जाति गुर्जर आयु 50 साल निवासी विरहटा (खूडा) तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

अपीलाण्ट

बनाम

1. दीवानसिंह
2. छुटटो
3. जुगन्दर
4. वकील

| पुत्रान महाराज सिंह जातियान गुर्जर निवासी विरहय तहसील मासलपुर व जिला करौली

5. सरूपी बेवा महाराज सिंह जाति गुर्जर
6. कम्मोटर
7. गिर्राज
8. भगवानसिंह

| पुत्रान दुल्ली निवासीयान विरहटा तहसील मासलपुर व जिला करौली।

9. धरम कोर वेबा पत्नि दुल्ली
10. जेर पुत्र देवहसं
11. शाखा प्रबंधक बी.आर.जी.बी.शाखा मासलपुर
12. प्रशासक ग्राम पंचायत खूडा तहसील मासलपुर जिला करौली।
13. श्रीमान तहसीलदार साहव लैण्ड होल्डर तहसील मासलपुर व जिला करौली।

रेस्पोडैण्टल

अपील विरूद्व नामान्तरकण

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि ग्राम सेवती पटवार हल्का पिसरानी मासलपुर मं स्थित है अपीलान्ट के पिता महाराज सिंह मृत्यु के वाद विरासत अपीलान्ट के नाम पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 67,120,121,122,130,131 ग्राम विरहटा पटवार हल्का पिपरानी एवं खसरा नम्बर 108,109,118,119,128,129,133,142 / 658,142 / 659, 143 / 660, 148,150,153,188,189,190,200,219,220,ता0 223,385 / 1 ग्राम विहहटा पटवार हल्का पिपरानी खोले गये जिससे अपीलान्ट का नाम पप्पू दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का समस्त का नाम कुमर सिंह है पप्पू नाम से मेरे पिता की कोई संतान नही है। मुझे इसकी जानकारी दिनांक 12.0[illegible] को जमाबन्दी निकलवाने पर हुयी अपीलान्ट ने नकल नामान्तरण [illegible] 8.06.1991 की नकलों निकलवाई नामान्तरणों में अपीलान्ट का नाम पप्पू के स्थान पर कुमर सिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोरेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया रेस्पोरेन्ट न0 1,3,5 जरिये वकील उपस्थित आये रेस्पोरेन्ट न01,2 स्वंय उपस्थित हुआ। रेस्पोरेन्ट न0 4,7,8,11 वावजूद तामील उपस्थित नही हुये। रेस्पोरेन्ट न0

Scanned with CamScanner

2,6,9,10, फौत हो चुके है। तहसीलदार मासलपुर से रिपोर्ट तलब की गयी जो प्राप्त दिनांक 09.03.2021 को होने पर शामिल पत्रावली किी गयी।

वहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट का वहस में कथन है कि अपीलान्ट व सही व वास्तविक नाम कुमर सिंह है पप्पू नाम का कोई पुत्र मृतक महाराजसिंह का नही है अपीलान्ट के समस्त कागजात सरकारी राशन कार्ड परिचय पत्र आधार कार्ड आदि में नाम कुमर सिंह है। तहसीलदार मासलपुर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.03.2021 में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट का नाम कुमर सिंह ही होना बताया है अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

वहस वकील अपीलान्ट का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नामान्तकरणों व दस्तावेजों एवं तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे अपीलान्ट का नमा कमर सिंह होना प्रकट होना है, अपीलान्ट नामान्तकरणों में अपना नाम दुरस्त कर संशोधित कराने का हकदार है अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तरण संख्या 114 व 147 दिनांक 08.06.1994 के ग्राम विरहटा तहसील मासलपुर में अपीलान्ट का नमा पप्पू के स्थान पर कमरसिंह संशोधित किये जाने के तहसीलदार मासलपुर को आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मासलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/3/2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner